1		2	3	
		टेलीफोन	तार	
	मिजोरम .	15	15	
	नागालैंड .	10	10	
	त्रिपुरा .	8	8	
10.	पंजाब	27	29	
	हरियाणा	82	84	750
	हिमाचल प्रदेश	25	31	
11.	उड़ीसा	60	54	150
12.	राजस्थान .	91	98	450
13.	तमिलनाडु, पांडिचेरी	499	384	1350
	पांडिचेरी	1	1	
14.	उत्तर प्रदेश	550	550	2675
15.	पश्चिम बंगाल . .	258	282	
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	2	1400
	सिक्किम	2	2	
	योग	3834	3371	15000

सफाई के काम के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को रोजगार

5164. **श्री राम देव सिंह :**
श्री मनोहर लाल :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों, जो झाड़ू तथा सफाई के कार्य के लिए रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, को कई वर्ष तक अपना नाम दर्ज करवाने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे अशिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और उन्हें कई वर्ष बाद यह सूचित कर दिया जाता है कि वे अशिक्षित हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका ध्यान 6 अगस्त, 1978 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो सात वर्ष के बाद भी नौकरी न दिए जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) पिछड़े :र्गों के लोगों, विशेषकर उन प्रशिक्षित व्यक्तियों को झाड़ तथा सफाई का काम करना चाहते हैं, को रोजगार के प्रवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त होने से पहले कितनी इन्तजार करनी पड़ती है, इससे सम्बन्धित आंकड़े रोजगार कार्यालयों द्वारा नहीं रखे जाते हैं। रोजगार कार्यालय रैफरल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं जो नियोजकों की मांग पर ऐसे उम्मीदवारों का संप्रेषण करते हैं, जो नियोजकों द्वारा विहित योग्यताओं/अनुभव इत्यादि को पूरा करते हों। रिक्तियां होने पर अशिक्षित व्यक्तियों के नामों का भी सम्प्रेषण किया जाता है, जहां पर नियोजकों द्वारा किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यताओं का उल्लेख न किया गया हो।

(ग) "नवभारत टाइम्स" दिनांक 6 अगस्त, 1978 की रिपोर्ट में उल्लिखित आवेदक का नाम दो भिन्न भिन्न नियोजकों को रोजगार कार्यालयों द्वारा दो बार सम्प्रेषित किया गया था। अन्तिम चयन नियोजक पर निर्भर करता है।

(घ) 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कृषि, ग्रामीण विकास और निर्माण कार्यों पर व्यापक निवेश द्वारा और क्षेत्रीय आयोजन द्वारा पूर्ण रोजगार के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रमों द्वारा पर्याप्त मात्रा में रोजगार अवसरों के सर्जन करने की परिकल्पना की गई है। इन उपायों से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों सहित सभी बेरोजगारों और अल्प योजित व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।

Opening of a Medical College in Tripura

5165. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no medical college in the State of Tripura, if so, whether there is any proposal for setting up one under the Annual Plan 1978-79 or under the current 5th Plan.

(b) if there is no such proposal, the reasons for not setting up a medical college in the State even though it is a remote tribal inhabited area; and

(c) whether the lack of such facility for the State is not likely to come in the way of smooth and quick development of this tribal area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) There is no medical college in the State of Tripura, nor is there any proposal for setting up one in the near future.

(b) There is a Regional Medical College at Imphal which caters to the needs of the States in the region i.e. Mizoram, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Arunachal Pradesh. Tripura State gets its due share of admission in that college.

(c) No. The State of Tripura has sufficient facilities for admission of the eligible students to the MBBS in the regional Medical College, Imphal and the students from Tripura are also being admitted to other medical colleges in the country by the Government of India through nominations.